# राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य
भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812,
ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in


क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/2017/409        दिनांक: 18/7/17

## डिकॉय कार्यवाहियों में खर्चों के भुगतान सम्बन्धी दिशा निर्देशः–

दिनांक 03.10.2016 को आयोजित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड (पीसीपीएनडीटी) की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य व अन्तर्राज्य स्तर पर की जा रही डिकॉय कार्यवाहियों में जाने वाली टीम के समस्त राजकीय/अराजकीय सदस्यों (मुखबिर, गर्भवती महिला, सहयोगी महिला व गैरसरकारी संगठन के सदस्य) को उनके द्वारा ठहरने व खाने में किये गये खर्चों का भुगतान/पुनर्भरण सम्बन्धित जिलों से पीसीपीएनडीटी नियम 5(2) के अनुसार जिले में केन्द्रों के पंजीकरण/नवीनीकरण से प्राप्त राशि में से राशि का भुगतान/पुनर्भरण निम्नानुसार खर्चों के बिल प्राप्त कर किया जावें :–

1. ठहरने हेतु प्राप्त बिल राशि या अधिकतम 1,000/– (एक हजार रूपये) प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन।
2. खाने हेतु प्राप्त बिल राशि या अधिकतम 500/– (पांच सो रूपये) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

साथ ही डिकॉय कार्यवाहियों में समय–समय पर आकस्मिक रूप से जिला स्तर पर टैक्सी वाहन दैनिक किराये के आधार पर लिये जाते है। इन वाहनों के किराये का भुगतान जिला स्तरीय अनुमोदित दरों/स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों से सम्बन्धित जिलों द्वारा पीसीपीएनडीटी नियम 5(2) के अनुसार जिले में केन्द्रों के पंजीकरण/नवीनीकरण से प्राप्त राशि में से किया जावें।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष,राज्य समुचित प्राधिकारी
(पीसीपीएनडीटी) एवं
शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें [illegible], राजस्थान। (जरिये :- जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी)
5. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
7. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, राजस्थान को पालनार्थ।
9. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष,राज्य समुचित प्राधिकारी
(पीसीपीएनडीटी) एवं
शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान,जयपुर।